न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –113 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016 / 00052

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

सत्यनारायण, महावीर, राजेन्द्र, भोजराज पुत्रान कालू गुर्जर निवासी सनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 1970 के नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

उपस्थितः–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 06 / 05 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 271 / 80 की रकबा 0.10 हे0, 272 / 153 की 0.20 हे0 किता–2 की रकबा 0.30 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थीगण को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दिनांक 26.06.2003 को आवंटन की गई थी जो अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थीगण को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया है ।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । साथ ही प्रकरण के सम्बन्ध में मौका स्थिति की रिपोर्ट पुनः मंगवाई गई जो 10.07.2023 को प्रस्तुत की गई जो पत्रावली संलग्न है ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं की है तथा भूमि मौके पर पडत होने से अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की है जो खातेदारी की पात्रता नहीं रखने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम सनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 271/ 80 की रकबा 0.10 हे0, 272 /153 की 0.20 हे0 किता–2 की रकबा 0.30 हे0 भूमि दिनांक 26.06.2003 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटन पश्चात आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह साबित हो रहा है कि अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम सनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 271/80 की रकबा 0.10 हे0, 272/153 की 0.20 हे0 किता–2 की रकबा 0.30 हे0 भूमि दिनांक 26.06.2003 को अप्रार्थीगण के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाना उचित पाते है ।
5. परिणामस्वरूप तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में 26.03.2003 को ग्राम सनखेड़ा की भूमि खसरा नं0 271/80 की रकबा 0.10 हे0, 272/153 की 0.20 हे0 किता–2 की रकबा 0.30 हे0 का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 06.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा